न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—08 / 2023 (2023 / 103) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—रूकमणदेवी पत्नि मांगु भील निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित

1. हरिशचन्द्र टेलर —

प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—27.06.2023

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम नाथड़ियास तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 4093 / 784 रकबा 0.46 है0, आराजी संख्या 774 रकबा 0.30 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थी की उक्त आराजी में संज, बैल, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर पैदल आदि सहित आवागमन करने हेतु एम मात्र रास्ता ग्राम नाथड़ियास की बिलानाम आराजी संख्या 793 मे से होकर 30 फीट चौड़ाई में स्थित है इसी रास्ते से आवागमन कर रहे है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नही है। प्रार्थीया के लिए उक्त रास्ता आत्यधिक आवाष्यकता का रास्ता है। उक्त रास्ते के अभाव में प्रार्थीया अपनी आराजी का उपयोग उपभोग नही कर सकती और न ही भूमियों को अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरित करता सकती है। मुताबिक न्यायालय ओदश के प्रतिकर राशि जमा करवाने के लिए तैयार है। अतः प्रार्थीया की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम नाथड़ियास में स्थित प्रार्थीया की खातेदारी आराजी संख्या 4093 / 784 व 774 में आवागमन का रास्ता जो ग्राम नाथड़ियास की बिलानाम गे.मु. रास्ते की आराजी संख्या 1286 से होकर बिलानाम आराजी संख्या 793 में 30 फीट चौड़ाई में स्थित है को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम सादर फरमाया जावें तथा रास्ते का खुलासा करवाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट [illegible] गई जिसमें तहसीलदार रायपुर द्वारा अंकन किया कि प्रार्थीया ने ग्राम [illegible] आराजी संख्या 774 रकबा 0.30 है0, आराजी संख्या 4093 / 784 रकबा 0.46 है0 कुल किता 2 कुल रकब[illegible] है0 में आवागमन हेतु बिलानाम आराजी संख्या 793 रकबा 0.11 है0 मे से 30 फीट चौड़ा रास्ता हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। वर्तमान में प्रार्थीया ग्राम नाथड़ियास से ग्राम आम्बाकाखेड़ा जाने वाले रास्ते आराजी संख्या 1286 से होकर बिलानाम आराजी संख्या 793 से होकर प्रार्थीया की

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.07.31 13:36:17 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी भूमि व आम रास्ते के मध्य स्थित है रास्ता उपयोग में आ रही है। प्रार्थीया बिलानाम आम रास्ता आराजी संख्या 1286 से होकर बिलानाम आराजी संख्या 793 से होकर अपनी खातेदारी संख्या 4093 / 784 में आ जा रही है। मौके पर रास्ता बना हुआ है। उक्त आराजी के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीया की खातेदारी भूमि के समीप स्थित है। प्रार्थीया बिलानाम रास्ते से होकर बिलानाम आराजी संख्या 793 मे से होकर आ जा रही है। प्रार्थीया बिलानाम आराजी संख्या 793 रकबा 0.11 है0 मे से अपनी खातेदारी आराजी संख्या 4093 / 784 के दक्षिणी—पूर्वी कोने पर 30 फीट चौड़ा रास्ता चाहती है। आराजी संख्या 793 का रकबा 0.01 है0 भूमि प्रस्तावित रास्ते में आती है। ग्राम नाथड़ियास की असिंचित की डीएलसी दर 329552 / — रूपये प्रति है0 है जिससे रकबा 0.01 है0 की भूमि कीमत 3296 रूपये बनती ळै जिसका दुगुना करने पर 6592 / —रूपये बनते है। संलग्न नक्शा ट्रेस में वर्तमान रास्ते को बल्यू एवं प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से दर्शाया गया है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता नही है।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन करने हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है प्रार्थी वर्तमान में इसी रास्ते से आवागमन कर रहे है। प्रार्थी रास्ते के उपयोग हेतु ली जा रही भूमि की नियमानुसार भूमि कीमत देने को भी तैयार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए की मूल मंशा यही है जहां प्रार्थी कई वर्षो से आवागमन कर रहे है और अन्य कोई विकल्प नही हो तो ऐसे रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा सकते है। प्रार्थी की खातेदारी काफी पुरानी है जिससे वर्षो से इसी जगह से होकर आवागमन करने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विपक्षी की ओर से भी कोई आपत्ति नही की। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम नाथड़ियास तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीया की खातेदारी आराजी संख्या 774 रकबा 0.30 है0, आराजी संख्या 4093 / 784 रकबा 0.46 है0 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 793 रकबा 0.11 है0 मे से रकबा 0.01 है0 भूमि (यानि 100 वर्गमीटर भूमि) जिसकी डीएलसी दर 329552 / —रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे 3296 / —रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 6592 / —रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका विपक्षी खातेदार को भुगतान करने पर प्रस्तावित [illegible] बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को [illegible] हो।

निर्णय आज दिनांक [illegible] जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.07.31 13:36:17 IST
Reason: SelfAttested

(नेहा छीपा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—08 / 2023 (2023 / 103) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—रूकमणदेवी पत्नि मांगु भील निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट</u>

प्रेषित :—<u>तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्</u>

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम नाथड़ियास तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीया की खातेदारी आराजी संख्या 774 रकबा 0.30 है0, आराजी संख्या 4093 / 784 रकबा 0.46 है0 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 793 रकबा 0.11 है0 मे से रकबा 0.01 है0 भूमि (यानि 100 वर्गमीटर भूमि) जिसकी डीएलसी दर 329552 / —रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे 3296 / —रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 6592 / —रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका विपक्षी खातेदार को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 27.06.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(नेहा छीपा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.07.31 13:36:17 IST
Reason: SelfAttested